XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो. 1411-III/15 जिला- सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता हैं । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य	

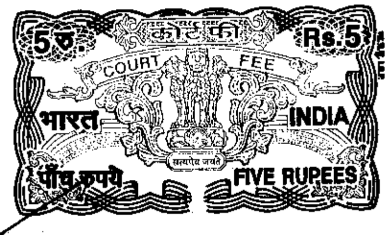

प्र०क्र० 1411-II-15

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विवधि प्रकरण क्रमांक :

श्री बी.के. तिवारी एड.
द्वारा आज दि. 8-6-2015 को
प्रस्तुत

8-6-15

8-6-15

1. **अंबिका प्रसाद तनय श्री रामायण प्रसाद निवासी देवरा तहसील मझगवां जिला सतना म.प्र.**
2. **रामअवतार अग्रवाल तनय श्री शिवरतनलाल, गुलाबचन्द अग्रवाल निवासी जैतवारा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.** ....**आवेदकगण**

विरूद्ध

म.प्र. शासन ....**अनावेदक**

<u>रेस्टोरेशन आवेदन अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 1454 II/2010 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2015 को नियत था।
2. यहकि, नियत दिनांक 27.03.2015 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में व्यस्त थे जिससे वक्त पुकार माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके एवं प्रकरण रिकार्ड हेतु विचाराधीन था साथ ही आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक 27.03.2015 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा क्ररने पर हुई। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
3. यहकि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्ररकण क्रमांक 1454 II/2010 पुर्न स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

दिनांक 8-6-15 प्रार्थी